राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

अपील संख्या 75 / 2020

अनवान् मुकदमा

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री पर्वतसिंह पिता नाहरसिंह निवासी माण्डावाडा, पो. पडासली तहसील व जिला राजसमन्द		लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमन्द

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

निर्णय

दिनांक **21.01.2021**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से तहसीलदार, राजसमन्द उपस्थित।
3. मैने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.10.2020 के द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द सेऊवा अभिलेख से संबंधित सूचना चाही गई थी। सूचना नही मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील पेश की गई हैं।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।
6. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द के पत्रांक आर.टी.आई./21/43 दिनांक 08.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार वांछित सूचना दिनांक 30.12.2020 को उपलब्ध करवा दी गई हैं।
7. अपीलार्थी ना ही पेशी पर उपस्थित हुआ और ना ही कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील खारिज किया जाना समीचीन हैं।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती हैं।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)